न्यायालय सहायक कलक्टर (FT),मावली जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 223/15 (वाद)
GCMS No. : 2015/00013

अनवान

1. श्री उंकारलाल पिता श्री उदयलाल जी सुथार, आयु वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)

............वादी

बनाम्

1. श्री सत्यनारायण पिता श्री जगन्नाथ जी सुथार (जांगीड़), आयु वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री पुनमचन्द पिता श्री जगन्नाथ जी सुथार (जांगीड़), आयु वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) मृतक के बजाय :—

2/1 श्रीमती कुसुमबाई पत्नी इन्द्रलाल सुथार, आयु वयस्क, निवासी बासंडा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

2/2 श्रीमती अनिता पत्नी श्यामलाल सुथार, आयु वयस्क, निवासी पलानाकलां तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2/3 सुश्री संजना पुत्री पुनमचन्द सुथार, आयु वयस्क, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3. श्री विष्णु कुमार पिता श्री जगन्नाथ जी सुथार (जांगीड़), आयु वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती बदामी बाई पिता श्री जगन्नाथ जी सुथार (जांगीड़), पत्नी श्री हीरालाल जी सुथार, आयु वयस्क, निवासी पलाना कलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती गोपीबाई पिता श्री जगन्नाथ जी सुथार (जांगीड़), पत्नी श्री प्रभुलाल जी सुथार, आयु वयस्क, निवासी भीण्डर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज)
6. श्रीमती गीताबाई पिता श्री जगन्नाथ जी सुथार (जांगीड़), पत्नी श्री शिवलाल जी सुथार, आयु वयस्क, निवासी नाथद्वारा, उबा गणेश जी सिंहाड़, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:42:07 IST
Reason: SelfAttested

7. श्रीमती चन्द्राबाई पिता श्री जगन्नाथ जी सुथार (जांगीड), पत्नी श्री नानालाल जी सुथार, आयु वयस्क, निवासी सालेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता वादी।
2. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 4, 6, 7

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 08.11.2024

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर में कृषि आराजी संख्या 2430 रकबा 1 बीघा स्थित है। जो वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के नाम हिस्सा बराबर से अंकित है।
2. यह कि उपरोक्त आराजी संख्या 2430 में वादी के स्वामित्व, अधिकार एवं अधिपत्य का एक भूखण्ड स्थित है जिस पर वादी द्वारा दो मंजिला पक्का पट्टी पोस मकान का निर्माण करवाया गया है। उक्त मकान के वर्तमान पड़ौस एवं नाप निम्नानुसार है :–

पड़ौस :–

पूर्व : आम रास्ता मेन रोड़ रुण्डेडा से इण्टाली जाने–आने का

पश्चिम : सोहनलाल पिता रामचन्द्र जी सुथार का ढालीया व बाडा

उत्तर : सोहनलाल पिता रामचन्द्र जी सुथार का मकान

दक्षिण : प्रभुलाल पिता रामचन्द्र जी सुथार का मकान

नाप :–

पूर्व–पश्चिम : 86 फीट

उत्तर–दक्षिण : 23 फीट

कुल क्षेत्रफलः 1978 (एक हजार नो सो इठोतर) वर्गफीट

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:42:07 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त पड़ौसों बीच एवं नाप की सम्पत्ति को इस वाद में आगे ''वादग्रस्त सम्पत्ति'' के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। जो कुल आराजी का 1978/17424 वां हिस्सा है।

3. यह कि वादी के पिता श्री उदयलाल जी द्वारा प्रतिवादीगण के पिता श्री जगन्नाथ जी से उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा संख्या 2430 में से एक भूखण्ड (बाडा) निम्न पड़ौसों एवं नाप का सम्वत् 2022 के मगसर सुदी 13 को अर्थात वर्ष सन् 1965 में बिल एवज 75/– अक्षरे पिचहतर रुपयों में क्रय किया जाकर कब्जा प्राप्त किया गया। जिसके तत्समय पड़ौस एवं नाप निम्नानुसार थे :–

पड़ौस :–

पूर्व : बादशाही पन्थ अर्थात आम रास्ता

पश्चिम : चुन्नीलाल जी नाथु जी लोहार की भूमि

उत्तर : रामचन्द्र जी सुथार की पोल अर्थात मकान

दक्षिण : हीरालाल जी पटेल का बाडा

नाप :–

पूर्व–पश्चिम : 116 फीट

उत्तर–दक्षिण : 22 फीट

कुल क्षेत्रफल : 2552 (दो हजार पांच सो बावन) वर्गफीट

4. यह कि उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का प्रतिवादीगण के पिता श्री जगन्नाथ जी द्वारा वादी के पिता श्री उदयलाल जी के पक्ष में उदयलाल जी की बही में दो साक्षियों की उपस्थिति में विक्रय पत्र निष्पादित कर अपने हस्ताक्षर कर दिये एवं उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का वास्तविक भौतिक कब्जा वादी के पिता श्री उदयलाल जी को सुपूर्द कर दिया।

5. यह कि उपरोक्त वर्णित पड़ौसों एवं नाप के भूखण्ड पर वादी के पिता श्री उदयलाल जी का वर्ष 1970 तक कब्जा चला आ रहा था जिसमें क्रय किये गये भूखण्ड पर पत्थरों की कच्ची बाउण्ड्रीवॉल बनाई गई थी किन्तु उक्त भूखण्ड पर जब वादी के पिता द्वारा वर्ष 1971 में मकान बनाने का कार्य शुरु किया तो विक्रेता श्री जगन्नाथ जी द्वारा पश्चिमी दिशा में विवाद पैदा कर दिया, काफी लड़ाई–झगड़ा हुआ व अन्ततोगत्वा जगन्नाथ जी ने पश्चिमी दिशा में चुन्नीलाल जी लोहार की सम्पत्ति तक पक्की [illegible] नहीं बनाने दी व वादी को बाध्य किया कि वादी पूर्व से पश्चिम 86 फीट [illegible] ही मकान बनावे और इसकी एवज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pushadia
Date: 2024.12.18 16:42:07 IST
Reason: SelfAttested

में वादी के पिता श्री उदयलाल जी को उत्तर–दक्षिण चौड़ाई में एक फीट जमीन दे देंगे। यद्यपि वादीपक्ष की तत्समय 660 वर्गफीट जमीन जा रही थी किन्तु जगन्नाथ जी के पास शारीरिक संख्या बल व आर्थिक बल ज्यादा था जिससे विवश होकर उदयलाल जी ने इस मौखिक समझौते के आधार पर अपना मकान 86 फीट x 23 फीट में ही बनाकर सन्तोष कर लिया। जिससे वर्तमान में वादग्रस्त सम्पत्ति का जो नाप है वह 86 फीट x 23 फीट होकर कुल क्षेत्रफल 1978 (एक हजार नो सो इठोतर) वर्गफीट है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी के पिता श्री उदयलाल जी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख में उत्तर–दक्षिण का नाप 11 हाथ बताया हुआ है, जिससे तात्पर्य 22 फीट है, क्योंकि मेवाड़ में तत्समय पुराने लोग नाप को हाथ में अंकित किया करते थे जिसका अभिप्राय एक हाथ से 2 फीट का था। चूंकि लम्बाई पूर्व दिशा के रास्ते से चुन्नीलाल जी लोहार की आराजी संख्या 2436 तक थी इस कारण विक्रय पत्र में पूर्व–पश्चिम लम्बाई का नाप नहीं लिखा गया व चूंकि चौड़ाई में आराजी नम्बर 2430 का आंशिक भाग ही बेचा गया था जिससे उत्तर–दक्षिण चौड़ाई नाप विक्रय पत्र में ''हाथा 11 अग्यारह धराउ लंकाउ तक'' अंकित कर दिया गया।

6. यह कि वादग्रस्त सम्पत्ति में भूतल का निर्माण वादी के पिता श्री उदयलाल जी द्वारा वर्ष 1971–72 में करवाया गया एवं तभी से वे अपने परिवार सहित उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति में निवास करते चले आ रहे थे। वर्ष 1972 में इस सम्पत्ति में स्व. श्री उदयलाल जी ने अपने जीवनकाल में विद्युत कनेक्शन ले लिया। तभी से विद्युत कनेक्शन के विद्युत उपभोग का बिल वादीपक्ष जमा करवा रहा है। तत्पश्चात सन् 2001 में वादग्रस्त सम्पत्ति में आंशिक रुप में प्रथम तल का निर्माण आगे पूर्वी दिशा की और करवाया गया, ज्योंही उक्त निर्माण दिनांक 22–03–2002 को सम्पूर्ण हुआ कि दुर्भाग्यवश अगले ही दिन दिनांक 23–03–2002 को वादी के पिता श्री उदयलाल जी का स्वर्गवास हो गया। वादी के पिता के स्वर्गवास के पश्चात उनके विधिक उत्तराधिकारी वादी एवं वादी की दो बहने श्रीमती सुखीबाई एवं मन्जुबाई तथा वादी की माता श्रीमती भागवन्ती है, किन्तु दोनों बहनों एवं माता द्वारा उनके हक का त्याग वादी के पक्ष में कर दिया गया है। जिससे [illegible]रा ही यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:42:07 IST
Reason: SelfAttested

7. यह कि वादी के पिताश्री के जीवनकाल से ही वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादीपक्ष का लगातार कब्जा चला आ रहा है। वादी के पिता के जीवनकाल में वे उनके परिवार सहित व उनकी मृत्यु के पश्चात वादी अपने परिवार सहित वादग्रस्त सम्पत्ति में निवास कर रहा है। वादग्रस्त सम्पत्ति में ही वादी का खाना–पीना, सोना–उठना, बैठना व जीवनयापन है। जिससे वादी का पुख्ता कब्जा सभी व्यक्ति एवं स्वयं प्रतिवादीगण की जानकारी में शुरु से ही चला आ रहा है। जिससे प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार से कोई भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं है।

8. यह कि यद्यपि कब्जे बाबत वर्ष 1971 से ही प्रतिवादीगण ने कोई विवाद नहीं किया किन्तु वादी द्वारा हाल ही में प्रतिवादीगण को 1978/17424 हिस्से की भूमि को वादी के नाम दर्ज कराने बाबत कहा गया तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया एवं हाल ही में वादी को ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीगण आराजी संख्या 2430 की भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने से वादग्रस्त सम्पत्ति को बैंक के रहन रख कर उस पर ऋण उठाना चाहते है इस हेतु वादी द्वारा प्रतिवादीगण को ऐसा नहीं करने बाबत कहा गया तो प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी कि अब तो वे लोन ही नहीं उठायेगे अपितु वादी को भी वादग्रस्त सम्पत्ति से बैदखल कर देगें, वादी का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं होने से वादी के विधिक अधिकारों पर बुरा असर पड़ रहा है, जिससे वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध घोषणा हेतु यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

9. यह कि वादग्रस्त सम्पत्ति पर वादीपक्ष का कब्जा सम्वत् 2022 से अर्थात सन् 1965 से लगातार चला आ रहा है, जिसको 50 वर्ष हो चुके है, जो प्रतिवादीगण की जानकारी में है, जिससे वादी का अधिपत्य प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रतिकूल सिद्धान्त के आधार पर भी परिपक्व हो गया है, जिससे प्रतिकूल अधिपत्य (Adverse Possession) के सिद्धान्त के आधार पर भी वादी वादग्रस्त सम्पत्ति का स्वामी बन चुका है और इस हेतु अपने पक्ष में घोषणा कराने का अधिकारी है।

10. यह कि प्रतिवादीगण द्वारा हाल ही में वादग्रस्त सम्पत्ति को बैंक के रहन रखकर लोन उठाने की धमकीयां दिये जाने पर व वादग्रस्त सम्पत्ति से वादी को बैदखल कर देने की धमकीयां दिये जाने से व वादग्रस्त सम्पत्ति को अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर दिये जाने की धमकीयां दिये जाने से प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2024.12.18 16:42:07 IST
Reason: SelfAttested

के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जाना भी आवश्यक हो गया है।

11. यह कि प्रतिवादीगण के पिता श्री जगन्नाथ जी द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति वादी के पिता को विक्रय कर कब्जा सुपूर्द किये जाने से, वादीपक्ष द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति पर मकान निर्माण करवा उसमें निवास कर वादग्रस्त सम्पत्ति का उपयोग उपभोग किये जाने से, प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वादग्रस्त सम्पत्ति पर लोन लेने की धमकी देने से, वादग्रस्त सम्पत्ति से वादी को बेदखल किया जाने की धमकीयां दिये जाने से, वादग्रस्त सम्पत्ति को अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरण की धमकीयां दिये जाने से व इस प्रकार की धमकीयां अंतिम बार गये कल को दिये जाने से घोषणा एवं निषेधाज्ञा हेतु वाद कारण विरुद्ध प्रतिवादीगण पैदा हुआ।

12. अन्त में निवेदन किया कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावे :– क– कि यह घोषित किया जावे कि वादी वाद में वर्णित आराजी संख्या 2430 रकबा 01 बीघा भूमि में से वादग्रस्त सम्पत्ति जो 1978/17424 वां हिस्सा की है, उसका वादी खातेदार काश्तकार है एवं इसीनुसार वादी उसके नाम समस्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवाने का अधिकारी है। ख– कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित कराई जावे कि वे वादग्रस्त भूखण्ड में वादी के कब्जे में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा पैदा नहीं करें, वादी को वादग्रस्त भूखण्ड से जबरन बेदखल नहीं करे, वादग्रस्त भूखण्ड बाबत किसी भी बैंक से ऋण प्राप्त नहीं करे, वादग्रस्त भूखण्ड को किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार से रहन, बैह बक्षीश या किसी भी अन्य प्रकार से हस्तान्तररित नहीं करे, न ही इस प्रकार के कृत्य किसी भी अन्य व्यक्ति से ही करावें।

13. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित आराजी नं 2430 रकबा 1 बीघा भूमि प्रतिवादीगणों के खातेदारी की होकर वर्तमान में प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज है। आराजी नं. 2430 का कुछ भूखण्ड वादी के पिता को देने की बात की थी तथा उक्त भूखण्ड के बदले में वादी के खातेदारी व आधिपत्य की आराजी नं. 6223, 2463 का कुछ भाग प्रतिवादीगणों के पिता जगनाथ जी को देने का तय हुआ था तथा वादी के पिता उदयलाल के पास उस समय धन बल था तो वादी के पिता उदयलाल ने उस समय मकान बना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:42:07 IST
Reason: SelfAttested

दिया तथा मकान बनाने के बाद प्रतिवादीगणों के पिता ने आराजी नं. 6223, 2463 में से प्रतिवादीगणों के पिता को वादी के पिता द्वारा दिये गए भूखण्ड को प्रतिवादीगणों के पिता के नाम कराने हेतु कहा तो वादी के पिता उदयलाल जी ने उक्त भूखण्ड प्रतिवादीगणों के पिता के नाम कराने हेतु मना कर दिया व जो मौखिक अदला बदली की बात थी वह भी निरस्त कर दी तथा इसकी जानकारी वादी को थी फिर भी वादी ने अपने पिता के जीवनकाल में या प्रतिवादीगणों के पिता के जीवनकाल में उक्त आराजीयात में स्थित भूखण्ड को अपने नाम दर्ज कराने हेतु कभी कोई कार्यवाही नही की क्योकि वादी को इस बात की अच्छी तरह से जानकारी थी कि प्रतिवादीगणों के पिता व वादी के पिता के मध्य मौखिक भूखण्ड की अदला बदली की बात निरस्त हो गई है व अब वादी व प्रतिवादीगणों के एक दूसरे के भूखण्ड अपने अपने नाम दर्ज नही कराने है इसलिए वादी ने अपने पिता के जीवनकाल में उक्त भूखण्ड को अपने नाम दर्ज कराने हेतु कोई उजर या कार्यवाही नहीं की गई वादी व प्रतिवादीगणों के पिता की मृत्यु के बाद वादी उक्त भूखण्ड पर बने मकान को अपने नाम दर्ज कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया है जो गलत है।

14. यह कि वाद में वर्णित आराजीयात के सम्बध में सम्वत् 2022 में कोई लिखापढी नही की थी केवल मात्र वादी के पिता व प्रतिवादीगणों के पिता के मध्य मौखिक बात हुई थी जो भी बाद में निरस्त कर दी गई थी वादी द्वारा जो लिखापढी बताई जा रही है वह फर्जी होकर कुटरचित व बनावटी दस्तावेज है जिससे वादी को कानुनन कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है वादी द्वारा उक्त फर्जी व कुटरचित दस्तावेज से वादी उक्त भूखण्ड को अपने नाम दर्ज कराने हेतु घोषणा का यह वाद प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने योग्य है।।

15. यह कि प्रतिवादीगणों के पिता द्वारा वादी के पिता के पक्ष में उक्त भूखण्ड बाबत् ऐसी कोई लिखापडी नहीं की थी न ही प्रतिवादीगणों के पिता ने उक्त लिखापढी पर हस्ताक्षर किए थे वादी द्वारा जो लिखापढी बताई जा रही है वह फर्जी कुटरचित होकर बनावटी है तथा यदि ऐसी कोई लिखापढी होती तो वादी अपने पिता के जीवनकाल या प्रतिवादीगणों के पिता के जीवनकाल में लेकर आता वादी व प्रतिवादीगणों के पिता की मृत्यु के बाद उक्त लिखापढी कुटरचित तैयार की गई है। तथा ऐसी कुटरचि[illegible]जिस्टर्ड अनस्टाम्पड लिखापढी से वादी को कोई हक व अधिकार कानुनन [illegible] नही हो सकते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puradia
Date: 2024.12.18 16:42:07 IST
Reason: SelfAttested

16. यह कि प्रतिवादीगणो के पिता जगनाथ जी ने वादी के पिता से कोई लडाई झगडा किया हो बल्कि वादी के पिता ने प्रतिवादीगण के पिता को जो भूखण्ड आराजी नं. 6223, 2463 में अदला बदली में देना तय हुआ था वह वादी के पिता ने प्रतिवादीगणों के पिता जगनाथ जी को नहीं दिया तथा वादी के पिता व प्रतिवादीगणों के पिता के मध्य जो मौखिक बात तय हुई थी वह भी निरस्त कर दी गई थी इसलिए उक्त आराजीयात के उक्त भूखण्ड पर वादी का कोई हक व अधिकार नहीं है।

17. यह कि वादी के पिता ने जो विधुत कनेक्शन लिया है वह गलत है तथा विद्युत कनेक्शन को हटाने के लिए प्रतिवादीगण बिजली विभाग में अलग से कार्यवाही कराएगें तथा विधुत कनेक्शन हो जाने मात्र से उक्त भूखण्ड का हक व अधिकार वादी को प्राप्त नही हो जाता है वादी का यह कहना भी गलत है कि वादी के दो बहिने सुखी बाई, मजु बाई व माता भागवती ने उक्त भूखण्ड का हकत्याग वादी के पक्ष में कर दिया हो क्योकि उक्त आराजीयात आज भी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज है जब उक्त आराजीयात प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज है तो उक्त आराजीयात का हकत्याग वादी की बहिनों व माता द्वारा वादी के पक्ष में करने का प्रश्न ही नही उठता है क्योकि न तो वादी उक्त आराजीयात का खातेदार है, न ही वादी की बहिनें व माता खातेदार है जब वादी व वादी की बहिनें व माता खातेदार ही नही है तो हक त्याग करने का प्रश्न ही नही उठता है। वाद वर्णित आराजीयात के भूखण्ड को वादी अपने नाम दर्ज कराने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, न कोई विधिक आधार है जिससे वादी उक्त भूखण्ड के घोषणा का वाद ला सके ।

18. यह कि वादी एडवर्स पजेसन के आधार पर न तो कानुनन खातेदार बन सकता है न ही वादी की खातेदार के विरूद्व एडवर्स पजेश्न के प्लीड लागु हो सकती है इसलिए वादी एडवर्स पजेसन के आधार पर भी घोषणा का वाद लाने के अधिकारी नही होगें। यह कि खातेदार के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है प्रतिवादीगण विवादग्रस्त आराजीयात के खातेदार है इसलिए प्रतिवादीगणों के विरूद्व कानुनन स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है।

19. यह कि प्रतिवादीगणों के विरूद्व कोई वाद कारण पैदा नही हुआ है, वादी ने वाद पत्र में वाद कारण गलत अकंन [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:42:07 IST
Reason: SelfAttested

20. अतः प्रार्थना है कि वादी द्वारा चाही गई दाद वादी प्राप्त करने के अधिकारी नही है इसलिए वादी को वाद सव्यय खारीज फरमाया जायें।

21. विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के वाद का आधार फर्जी व कुटरचित बनावटी अनरजिस्टर्ड अनस्टाम्पड लिखापढी है तथा वादी उक्त फर्जी कुटरचित व अनरजिस्टर्ड अनस्टाम्पड लिखापढी के आधार पर घोषणा का वाद राजस्व न्यायालय में नही ला सकता है इसलिए वादी का कथित वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अभाव में चलने योग्य नही होने से खारीज होने योग्य है। यह कि वादी कानुनन एडवर्स पजेशन के आधार पर भी खातेदार नही हो सकता है, न ही खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा सकता है इसलिए भी वादी का वाद निरस्त होने योग्य है।

22. प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा.दी. का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा हो गया है, जिससे अब वादी हस्तगत वाद को आगे नहीं चलाना चाह कर इसी स्तर पर राजीनामानुसार डिक्री करवाकर फेसल करवाना चाहते हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार वादग्रस्त आराजी संख्या 2430 रकबा 1 बीघा भूमि में वादी का 1978 / 17424 वां हिस्सा जिस पर वादी का कब्जा है, जिसके पडौस पूर्व–आम रास्ता मेन रोड रूण्डेडा से ईण्टाली आने–जाने का, पश्चिम–सोहनलाल पिता रामचन्द्र सुथार का ढालिया व बाडा, उत्तर–सोहनलाल पिता रामचन्द्र सुथार का मकान, दक्षिण–प्रभुलाल पिता रामचन्द्र सुथार, नाप–पूर्व–पश्चिम 86 फीट, उत्तर–दक्षिण 23 फीट कुल क्षेत्रफल 1978 वर्गफीट को वादी के नाम घोषित किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है, जिससे उपरोक्त भूमि को वादी के नाम घोषित करते हुए वाद को राजीनामानुसार डिक्री किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार उपरोक्त राजीनामानुसार निम्नांकित डिक्री पारित कराई जावे ''कि यह घोषित किया जाता है कि वादी वाद में वर्णित आराजी संख्या 2430 रकबा 1 बीघा भूमि में से वादग्रस्त सम्पति जिसके पडौस पूर्व–आम रास्ता मेन रोड रूण्डेडा से ईण्टाली आने–जाने का, पश्चिम–सोहनलाल पिता रामचन्द्र सुथार का ढालिया व बाडा, उत्तर–सोहनलाल पिता रामचन्द्र सुथार का मकान, दक्षिण–प्रभुलाल पिता रामचन्द्र सुथार, उपरोक्त पडोसो बीच के भूखण्ड का नाप–पूर्व–पश्चिम 86 फीट, उत्तर–दक्षिण 23 फीट कुल क्षेत्रफल 1978 वर्गफीट

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:42:07 IST
Reason: SelfAttested

भूमि जो उक्त आराजी का 1978/17424 वां हिस्सा है, का वादी को खातेदार, काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार समस्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। अतः निवेदन है कि उपरोक्त राजीनामानुसार प्रकरण को डिक्री फरमाते हुए प्रकरण को फैसल शुमार फरमाया जावें।

23.प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा.दी. पर बहस सुनी। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा दोराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 जा.दी. (राजीनामा) को स्वीकार कर राजीनामें के आधार पर डिक्री प्रदान करावें।

24.हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। राजीनामे का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्राम ईण्टाली पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 के खाता सं. 413 पर दर्ज आराजी नम्बर 2430 रकबा 1 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 7 के नाम दर्ज हैं। वादी के कथनानुसार प्रतिवादी सं. 1 से 7 के पिता जगन्नाथ के द्वारा वादी के पिता उदयलाल को 1978/17424 वां हिस्सा विक्रय कर 2 साक्ष्यों की उपस्थिति में विक्रय पत्र निष्पादित कर अपने हस्ताक्षर कर दिये। वास्तविक, भौतिक कब्जा भी वादी के पिता उदयलाल को सुपुर्द कर दिया, जिसके सम्बन्ध में वादी व प्रतिवादी सं. 1, 3 से 7 एवं प्रतिवादी संख्या 2 फौत हो जाने से उनके वारिस 2/1 से 2/3 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि में वादी को 1978/17424 वां हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया गया। जिससे जाहिर होता है कि प्रतिवादी सं. 1, 3 से 7 एवं प्रतिवादी संख्या 2 फौत हो जाने से उनके वारिस 2/1 से 2/3 के पिता/दादा द्वारा वादी के पिता उदयलाल को वादग्रस्त भूमि में से उक्त हिस्सा भूमि विक्रय किया गया हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3 जा.दी. (राजीनामा) का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3, सपठित धारा 15[illegible]. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान [illegible]श्तकारी अधिनियम का आपसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:42:07 IST
Reason: SelfAttested

राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है कि मौजा ईण्टाली पटवार क्षेत्र ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 के खाता सं. 413 पर दर्ज आराजी नम्बर 2430 रकबा 1 बीघा भूमि वादी को 1978/17424 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम पर बदस्तूर रहेगा। लेकिन 100 रूपये से अधिक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 के प्रावधानो के अनुसार केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जा सकता है। अतः डिक्री का पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत उप पंजीयक कार्यालय से पंजीयन (Registration) कराया जाना आवश्यक होगा। पंजीयन के पश्चात ही डिक्री की पालना राजस्व रेकार्ड में तहसीलदार द्वारा की जावें। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:42:07 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री उंकारलाल पिता श्री उदयलाल जी सुथार, आयु वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.) ....वादी

बनाम्

1. श्री सत्यनारायण पिता श्री जगन्नाथ जी सुथार (जांगीड़), आयु वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री पुनमचन्द पिता श्री जगन्नाथ जी सुथार (जांगीड़), आयु वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) मृतक के बजाय :–

2/1 श्रीमती कुसुमबाई पत्नी इन्द्रलाल सुथार, आयु वयस्क, निवासी बासंडा, तहसील भीण्डर, जिला उदयपुर (राज.)

2/2 श्रीमती अनिता पत्नी श्यामलाल सुथार, आयु वयस्क, निवासी पलानाकलां तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2/3 सुश्री संजना पुत्री पुनमचन्द सुथार, आयु वयस्क, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3. श्री विष्णु कुमार पिता श्री जगन्नाथ जी सुथार (जांगीड़), आयु वयस्क, निवासी इण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती बदामी बाई पिता श्री जगन्नाथ जी सुथार (जांगीड़), पत्नी श्री हीरालाल जी सुथार, आयु वयस्क, निवासी पलाना कलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती गोपीबाई पिता श्री जगन्नाथ जी सुथार (जांगीड़), पत्नी श्री प्रभुलाल जी सुथार, आयु वयस्क, निवासी भीण्डर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज)
6. श्रीमती गीताबाई पिता श्री जगन्नाथ जी सुथार (जांगीड़), पत्नी श्री शिवलाल जी सुथार, आयु वयस्क, निवासी नाथद्वारा, उबा गणेश जी सिंहाड़, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्रीमती चन्द्राबाई पिता श्री जगन्नाथ जी सुथार (जांगीड), पत्नी श्री नानालाल जी सुथार, आयु वयस्क, निवासी सालेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:42:07 IST
Reason: SelfAttested

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 223/15 (वाद)
GCMS No. : 2015/00013

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 3, सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है कि मौजा ईण्टाली पटवार क्षेत्र ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 के खाता सं. 413 पर दर्ज आराजी नम्बर 2430 रकबा 1 बीघा भूमि वादी को 1978/17424 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम पर बदस्तूर रहेगा। लेकिन 100 रूपये से अधिक मूल्य की स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 के प्रावधानो के अनुसार केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जा सकता है। अतः डिक्री का पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत उप पंजीयक कार्यालय से पंजीयन (Registration) कराया जाना आवश्यक होगा। पंजीयन के पश्चात ही डिक्री की पालना राजस्व रेकार्ड में तहसीलदार द्वारा की जावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08.11.2024 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:42:07 IST
Reason: SelfAttested